## वित्तीय आपातकाल
## Financial Emergency ⇒ Art. 360

- घोषणा ⇒ राष्ट्रपति के द्वारा, By the President
- आधार (Ground) ⇒ वित्तीय अस्थिरता
  Financial instability
- अनुमोदन (Approval) ⇒ LS और RS
  → घोषणा के दिन 2 माह के अंदर (within 2 Months)

भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा।

→ एक बार अनुमोदन से असीमित समय (unlimited) तक लागू हो सकती है।

→ प्रभाव - ① उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी।
Deduct the salary Judges of Supreme and High Court.

② केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी।

वापस ⇒ राष्ट्रपति

## भारत का उपराष्ट्रपति (The Vice-President of India )

पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति (Vice President ) का दूसरा स्थान है । The Vice President is second in the hierarchy after the President.

उपराष्ट्रपति → यह पद अमेरिका से लिया गया है।

(Vice-President) → Taken from USA

↳ भारत का दूसरा सर्वोच्च पद ( IInd Highest Post of India)

अनुच्छेद- 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ' पदेन सभापति' (Ex-office Chairman होता है According to Article 63, there will be a Vice President of India. The Vice President is the 'ex-officio Chairman' of the Rajya Sabha → Art. 64

Art. 64 ←

Art. 63 → भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे।

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति → राज्यसभा का पदेन सभापति।

प्रथम उपराष्ट्रपति
First Vice-President
⇓
डा० एस० राधाकृष्णन

वर्तमान ⇒ जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति => उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य नहीं हैं।

↳ कार्य -> मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति का होता हैं।

Chairman of Rs

=> (2) => जब कभी राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त (vacant) हो जाती है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

Art. 65 — Acting President => Art. 65

- अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद (Office of Profit) ग्रहण नहीं करता है He does not hold any other office of profit during his term of office

लाभ के पद पर न हो। → Qualifications
Do not Hold office of Profit → योग्यतायें

- भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। The provisions regarding the post of Vice President in India have been taken from the Constitution of America.

## उपराष्ट्रपति की योग्यतायें
## (Qualification of The Vice President)

अनु. 66 ( 3 ) उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित (योग्यतायें होनी चाहिए।) यथा- Article 66 (3) A person should have the following qualifications for the post of Vice-President, namely:

(1) भारत का नागरिक ⇒ Citizen of India
(2) न्यूनतम आयु ⇒ 35 years ⇒ Minimum Age - 35 years
(3) लाभ के पद पर न हो। ⇒ Do not Hold office of the Profit
(4) पागल न हो। Do not unsound.
(5) दिवालिया न हो। Do not Insolvent.

(i) वह भारत का नागरिक हो । He should be a citizen of India.

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, He must have completed 35 years of age,

(iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । Must be eligible to be elected as a member of the Rajya Sabha.

6

(लेकिन RS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

अनु. 66 ( 2 ) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा Article 66 (2) - The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State.




अगर है तो, तो फिर जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है उस दिन उसका पद उस सदन में रिक्त हो जायेगा जहां पर वह सदस्य था।

उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही

**The name of a candidate for the office of Vice-President shall be proposed by at least 20 voters and rejected by as many as 100 voters.**

प्रस्तावक (Proposers) ⇒ २०
अनुमोदक (Seconders) ⇒ २०

⇒ जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं उन्हीं में से २० प्रस्तावक और २० अनुमोदक होते हैं।

- मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए
- रु. 15000 की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

- *Must be approved by voters*
- *Security amount of Rs.15000 must be deposited.*

जमान राशि = 15000 रु०
Security Amount
↳ Deposit ⇒ RBI
(जमा)

Q यह जमानत राशि कब जब्त (seized) होती है?
↳ जब कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो।

## उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

## (Election of Vice President )

अनु. 66( 1 ) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों

According to Article 66(1), the Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament.

निर्वाचन (election) – (1) अप्रत्यक्ष (indirect)
(2) गुप्त मतदान (secret voting)

पद्धति (Method) → राष्ट्रपति के समान।

निर्वाचक मण्डल
Electrall college → मतदाता (Voters)

(1) LS और RS के सभी सदस्य। (All MP's) → निर्वाचित + मनोनीत
All members of LS and RS सभी सांसद Elected + Nominated

MLA → vote X
MLC → vote X

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।

The election of the Vice President also takes place through the 'single transferable vote system according to the proportional representation system' and voting in such an election is secret.

## उपराष्ट्रपति की पदावधि
## (Term of Office of Vice President)

- संविधान के अनच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the Vice President is 5 years.
- राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है । • Can submit resignation to the President.

कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष (पद ग्रहण दिन से)
त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति (President)

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice President will have to resign;

उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम चौदह दिन ( 14 ) पूर्व न दे दी गई हो । The Vice President has been informed at least fourteen (14) days in advance.

- उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र ( As Soon As) कराया जायेगा।
  The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.

- नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice President will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office.

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice President.

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है । वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice President is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। The Vice-President continues in office even after completing his five-year term until his successor assumes office.

## शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69,

Article 69,

## वेतन एवं भत्ते (The Salary and Allowances)

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the salary of his post.

यह वेतन भारत की संचित निधि ( Consolidated Fund of India ) पर भारित होता है।

This salary is charged on the Consolidated Fund of India.

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice President acts as Acting President under Article 65, he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.